[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 2/2020- सीमा शुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. (अ). जहां कि इंडोनेशिया (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7219 और 7220 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों, जिसे अधिसूचना संख्या 6/16/2019-डीजीटीआर, दिनांक 7 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) उक्त विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर किया गया है;
(ii) उक्त विषयगत वस्तु के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किए जाने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 15 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्राथमिक निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) में उल्लिखित दर से संगणित 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाती है, यथा -

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक	वसतु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप मे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी टी इंडोनेशिया गुआंग चिंग निकेल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री	22.31%
2.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी टी इंडोनेशिया सिंगसान स्टेनलेस स्टील	22.31%
3.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी टी इंडोनेशिया रिपू निकेल एंड क्रोम एलोय	22.31%
4.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पीटी आईएमआर एआरसी स्टील	22.65%
5.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित उत्पादकों से भिन्न कोई भी उत्पादक	24.83%
6.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	24.83%

बशर्ते कि निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर ये अनंतिम कांउंटरवेलिंग ड्यूटी देय नहीं होगी, यथा:-

(क) ब्लेड स्टील, या जिसे वाणिज्यिक तौर पर रेजर ब्लैड स्टील के नाम से जाना जाता है जिसका प्रयोग रेजर के निर्माण में होता है;

(ख) कोइन ब्लैन्क, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के टैरिफ मद 7326 90 96 के अंतर्गत आता है, जिसका प्रयोग सिक्के के निर्माण में किया जाता है;

(ग) स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जिसकी मोटाई 80 मिली मीटर से अधिक हो;

(घ) स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद जिसकी चौड़ाई 1650 मिली मीटर से अधिक हो, आयात के बाद जिसका प्रयोग उसी रुप में बिना कांटे-छाटे उत्पाद के रुप में किया जाए, जिसकी चौड़ाई 1650 मिली मीटर से अधिक हो

बशर्ते और भी कि आयात पहले परन्तुक के उपवाक्य (घ) के बारे में सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण : पहले परन्तुक के उपावाक्य (घ) में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में उक्त अनंतिम काउंटरवेलिंग ड्यूटी के भुगतान से दी जाने वाली छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां आयात के पश्चात ऐसी वस्तु की कांट-छांट करके उत्पाद तैयार किए गए हैं और उनकी मोटाई 1650 मिली मीटर से कम हो ।

3. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई अनंतिम काउंटरवेलिंग ड्यूटी सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार माह की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है, तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(1) ऐसी अनंतिम काउंटरवेलिंग ड्यूटी की संगणना के उद्देश्य से लागू होने वाली विनिमय दर वही दर होगी जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ इंट्री को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।

(2) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में निर्धारित किया गया हो ।

[फाइल संख्या 354/114/2020 – टीआरयू]

ज.स. कंधारी
9/x

(जे.एस. कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार